

इकाई I

कृषि व सम्बन्धित क्रियायें

1. कृषि
2. बागवानी
3. पशुपालन व डेयरी विकास
4. मछली पालन
5. भूमि कटाव व भू-संरक्षण
6. भूमि सुधार
7. सहकारिता

अध्याय-14

हिमाचल प्रदेश में कृषि बागवानी

विशेषताएँ

हिमाचल प्रदेश की कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

- (1) कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है।
- (2) राज्य की लगभग 69 प्रतिशत कार्यरत जनसंख्या को कृषि व्यवसाय में रोजगार उपलब्ध होता है। लगभग 7.5 लाख किसान कृषि करते हैं।
- (3) राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है।
- (4) राज्य में लगभग 9 लाख हैक्टेयर भूमि भाग कृषि से प्राप्त होता है। यह कुल भूमि का लगभग 16 प्रतिशत भाग है। अतः भूमि पर जनसंख्या का दबाव अत्यधिक है। पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब में कृषि योग्य भूमि 80 प्रतिशत है।
- (5) कृषि योग्य भूमि कम होने से प्रति कृषक जोत का आकार बहुत छोटा है। जोत का औसत आकार 1.3 हैक्टेयर है। लगभग 61 प्रतिशत जोतें एक हैक्टेयर से भी छोटी हैं। जब कि 82% जोतें दो हैक्टेयर या उससे छोटी हैं।
- (6) राज्य के 75% किसानों के पास केवल 33% भूमि है। जबकि 8 प्रतिशत किसानों के पास 40 प्रतिशत भूमि है।
- (7) राज्य में अधिकांश किसान सीमान्त या लघु किसान हैं। ये लोग उप-सीमान्त भूमि पर भी कृषि करते हैं।
- (8) जोत का आकार छोटा होने से गहन खेती करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, पैदावार बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक, उन्नत यन्त्र, सिंचाई की सुविधा तथा फसलों का उचित हेरफेर (पैटर्न) अपनाना ज़रूरी है।
- (9) अधिकांश खेत पट्टीनुमा ढलानों पर होने से भूमि कटाव अधिक होता है। कृषि पशुओं पर निर्भर है। पशुओं की नस्ल घटिया है।

कृषि उत्पादन

राज्य में खाद्यान्न एवं नकदी वाली व्यापारिक फसलें पैदा की जाती हैं। इनका सविस्तार अलग-अलग वर्णन किया जा रहा है।

(क) खाद्यान्न उत्पादन

खाने वाले अनाजों में राज्य में गेहूं, मक्की व चावल मुख्य रूप से पैदा किये जाते हैं। इनके अलावा दालें व कुछ तिलहन पैदा किये जाते हैं। हिमाचल प्रदेश बनने के बाद से इनकी पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। 1948 में राज्य के गठन के समय खाद्यान्न उत्पादन केवल 2 लाख टन था। इसकी तुलना में 1991 में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 14 लाख टन था।

1. **गेहूं** :- हिमाचल प्रदेश में गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख क्षेत्र कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, जिलों में हैं। इसके अलावा सिरमौर में वयारदा दून घाटी, सोलन में दून घाटी तथा बिलासपुर में घुमारवीं के क्षेत्र में भी गेहूं पैदा किया जाता है। वर्ष 1988-89 में 3.7 लाख हैक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की गई। वर्ष 1990-91 में उत्पादन 6 लाख टन हुआ। गेहूं की प्रति हैक्टेयर उपज 1.38 टन थी।

2. **मक्की** :- खाद्यान्नों में उत्पादन के आधार पर मक्की का पहला एवं क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा स्थान है। सबसे अधिक मक्की कांगड़ा व मंडी जिले में पैदा की जाती है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर व सोलन जिलों में व्यापक रूप से एवं चम्बा, शिमला व कुल्लू जिलों के निचले भागों में भी मक्की पैदा की जाती है। ग्रीष्म कालीन वर्षा की यह मुख्य उपज है।

वर्ष 1990-91 में राज्य में लगभग 3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में मक्की की खेती की गई तथा उत्पादन 6.8 लाख टन हुआ। इस प्रकार प्रति हैक्टेयर लगभग 2.00 टन मक्की पैदा हुई।

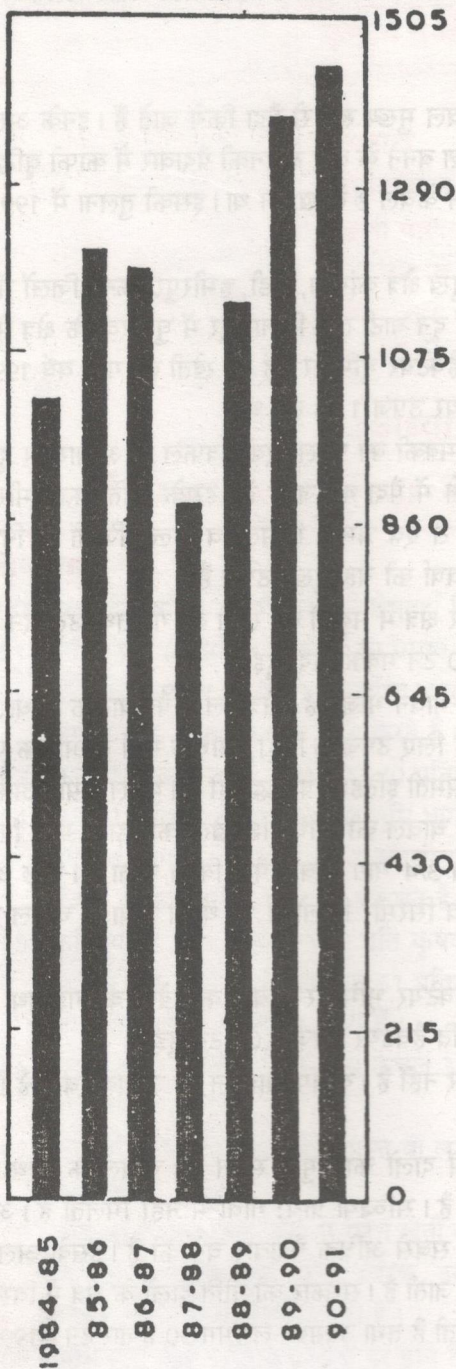
3. **चावल** :- चावल निचले पहाड़ी भागों का मन-भावन भोजन है। क्षेत्रफल व पैदावार के आधार पर चावल का खाद्यान्न उत्पादन में तीसरा स्थान है। इसके लिए उपजाऊ मिट्टी, अधिक गर्मी व अधिक पानी की आवश्यकता होती है। हिमाचल में कांगड़ा की बासमती इतिहास प्रसिद्ध रही है। मुगल सम्राट अकबर व जहांगीर के दरबारों में इसकी चर्चा प्रायः होती थी। चावल की अधिकांश खेती कांगड़ा व मंडी जिलों में होती है। दोनों जिलों में राज्य के कुल उत्पादन का 3/4 भाग चावल पैदा किया जाता है। कुछ अन्य जिलों में भी विशेषकर बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर व सिरमौर जिलों में भी थोड़ी मात्रा में चावल पैदा होता है।

वर्ष 1990-91 में हिमाचल प्रदेश में 95 हजार हैक्टेयर भूमि पर चावल की खेती की गई तथा 95 हजार टन चावल पैदा हुआ। इस प्रकार चावल की प्रति हैक्टेयर उपज 1.00 टन हुई।

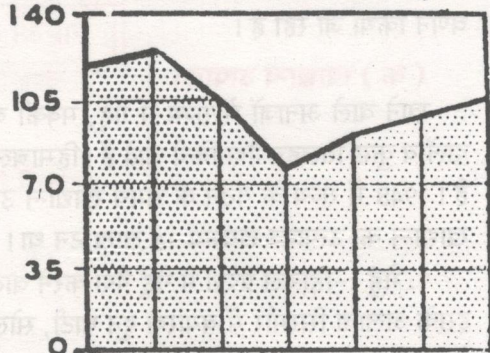
खाद्यान्न के मामलों में राज्य अभी तक आत्म-निर्भर नहीं है। यद्यपि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है फिर भी राज्य को अनाज बाहर से खरीदना पड़ता है।

4. **दालें** :- हिमाचल प्रदेश के लोगों के भोजन में दालों का प्रमुख स्थान है। चावल के साथ एवं मक्की की रोटी के साथ दालों का प्रचलन आम बात है। सब्जियां प्रायः गांवों में नहीं मिलती हैं। अतः ग्रामीण आबादी दालों पर ही निर्भर होती है। दालों में सबसे अधिक पैदावार चने की है। इसके अलावा माह, रोंगी, राजमाह, वालड़ी, मूंग व मसूर भी पैदा की जाती है। सरकार की नीति दालों के क्षेत्र में विस्तार की है। दालों की खेती लगभग 45 हजार हैक्टेयर में होती है तथा उत्पादन लगभग 30 हजार टन (1990-91) होने का अनुमान था।

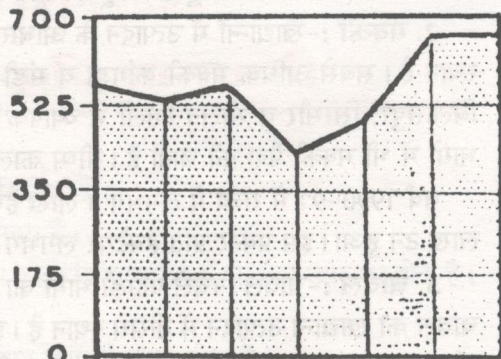
खाद्यान्न उत्पादन (000 टना म)



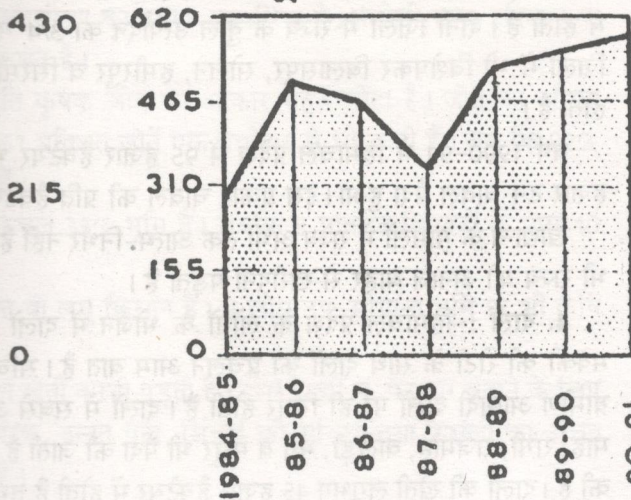
चावल उत्पादन (000 टनों में)



मक्की



गेहूँ



स्रोत - हिमाचल प्रदेश आर्थिक समीक्षा 1991

(ब) वाणिज्य फसलें

(1) **आलू** :-वाणिज्य फसलों में आलू का प्रथम स्थान है। यह ठण्डी जलवायु का पौधा है। अतः हिमाचल की जलवायु इसकी पैदावार के लिए अनुकूल है। अनुकूल जलवायु के कारण यहां का आलू खराब नहीं होता तथा बीज के रूप में प्रयोग होता है। जिला शिमला व लाहौर का आलू बहुत अच्छा है व राज्य से बाहर जाता है। यह रोगमुक्त भी होता है। कुल्लू, कांगड़ा व मण्डी का आलू प्रायः खाने के काम आता है। वर्ष 1991-92 में आलू का उत्पादन 1.25 लाख टन हुआ। 62 हजार टन आलू राज्य से बाहर भेजा गया।

(ii) **अदरक** :-अदरक राज्य की दूसरी प्रमुख नकदी फसल है। यह मध्यवर्तीय पहाड़ी भाग सिरमौर, सोलन व शिमला जिले में पैदा किया जाता है। कृषि विभाग उत्पादकों को तकनीकी जानकारी व अन्न आदान उपलब्ध कर रहा है। वर्ष 1988-89 में लगभग 1.7 हजार हैक्टेयर में अदरक की खेती की गई। वर्ष 1990-91 में पैदावार 3 हजार टन (सूखा अदरक) होने का अनुमान था। यह सबसे अधिक सिरमौर में होता है। आजकल अदरक को बीमारी लग गई है।

(iii) **तिलहन** :-राज्य में अलसी, तिल व सरसों जैसे तिलहनों की खेती की जाती है। सरसों चम्बा में, तिल व अलसी कांगड़ा जिले में पैदा किए जाते हैं। वर्ष 1988-89 में इनके अन्तर्गत लगभग 18 हजार हैक्टेयर क्षेत्र था। 1990-91 में पैदावार लगभग 3.8 लाख टन होने की सम्भावना थी।

(iv) **बे मौसम की सब्जियां** :-हिमाचल प्रदेश की जलवायु ठंडी है। अतः पंजाब, हरियाणा, देहली जैसी घनी आबादी वाले भागों में जब गर्मी पड़ती है व सब्जियाँ कम पैदा होती हैं। तब हिमाचल में शीतोष्ण जलवायु वाली सब्जियाँ बड़ी मात्रा में पैदा की जा सकती है। राज्य की जलवायु इसके लिए बड़ी अनुकूल है। सड़कों के निर्माण से अब इन्हें शीघ्र बाहर भेजा जा सकता है। इनके खराब होने की सम्भावना नहीं रही। राज्य का कृषि विभाग किसानों की तकनीकी जानकारी, सहायता व अनुदान समय पर उपलब्ध कर रहा है। ये सब्जियां शिमला, सोलन व कुल्लू जिलों में पैदा की जाती हैं। बन्दगोभी, मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांसबीन जैसी सब्जियां अन्य राज्यों को भेजी जाती हैं। भूमि से प्रति इकाई पैदावार खाद्यान्नों की तुलना में सब्जियों से बहुत अधिक होती है। वर्ष 1991-92 में पैदावार लगभग 3.8 लाख टन होने की सम्भावना है।

(v) **चाय** :-हिमाचल प्रदेश में चाय के बागान कांगड़ा जिले के पालमपुर व धर्मशाला उपमण्डल में तथा मण्डी जिले में चौतड़ा ब्लाक में चाय के बागान हैं। इनकी झाड़ियां एक बार लगाई जाती हैं। फिर तों इनकी कटाई छंटायी ही होती है। इसीलिए इसके अन्तर्गत क्षेत्र में कभी वृद्धि नहीं हुई, हां कुछ भागों में जहां झाड़ियों की हालत खराब हो गई है, वहां इनसे चाय की पत्तियां नहीं तोड़ी जाती। 1988-89 में लगभग 1.4 हजार हैक्टेयर में चाय के बागान थे व पैदावार 800 टन थी। चाय के बागानों के हालात अच्छे नहीं। इसलिए पालमपुर व धर्मशाला के नज़दीक चाय के सुखाने के रंग देने की इकाइयां लगाई गई हैं। उत्पादकों की नई तकनीक व अनुदान उपलब्ध किए गये हैं परन्तु अभी तक कोई विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

उत्पादन बढ़ाने के प्रयास

हिमाचल प्रदेश में कृषि की पैदावार आवश्यकता से कम है। खाद्यान्न के मामले में हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं। राज्य सरकार का कृषि विभाग कृषि पैदावार बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। इन्हें तकनीकी व संस्थागत भागों में बांटा जा सकता है।

तकनीकी उपाय

(i) अधिक उपज देने वाली फसलों के क्षेत्र में विस्तार : कृषि विभाग अधिक से अधिक क्षेत्र को अनाजों की अधिक उपज देने वाली व सुधरी किस्म के बीजों के अन्तर्गत लाने का प्रयास कर रहा है। किसानों को अच्छे बीज वितरित किए जाते हैं। सरकार मक्की, धान व गेहूं के बीजों का वितरण कर रही है। 1992-93 में 1.1 लाख हैक्टेयर में मक्की, लगभग 93 हजार हैक्टेयर में चावल तथा 3.65 लाख हैक्टेयर में गेहूं के सुधरे बीजों का वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) उर्वरक : रासायनिक खाद ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई है। अच्छे बीजों के साथ समय पर पर्याप्त उर्वरक मिलने से पैदावार काफी बढ़ाई गई है। फलस्वरूप उर्वरकों की मांग काफी बढ़ी है। वर्ष 1992-93 में 40 हजार टन उर्वरकों को प्रयोग का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में नाइट्रोजन फासफोटिक व पोटाशिक उर्वरक का प्रयोग हो रहा है।

(iii) पौध संरक्षण : दालों, सब्जियों तथा नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पौध संरक्षण के उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। कीट, नाशक तथा खेतों के चूहों की रोकथाम के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में नियमित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। 1991-92 में राज्य में लगभग 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को पौध संरक्षण के अधीन लाया जा चुका है।

(iv) शुष्क खेती : हिमाचल प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में फसलों के उत्पादन हेतु राज्य सरकार का कृषि विभाग किसानों को शुष्क प्रणाली अपनाने की प्रेरणा व प्रोत्साहन देता रहा है। इस प्रणाली में कृषकों को खरीफ की फसल के बाद भूमि में नमी बनाये रखने, फसलों की उचित किस्में उन्नत बीज की किस्में तथा उर्वरकों का उचित उपयोग, खरपतवारों की विनाश तथा आयात के समय खेती आदि के विषयों में किसानों को प्रशिक्षण देना है।

गहन विकास कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1989-90 में 90 लघु जलाशय शैड बनाये गये। इन जलाशयों से 9000 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की गई। इस समय तक इन जलाशयों के अलावा 983 पानी से ग्रहक संरचनाओं का कार्य पूरा हो चुका है।

(v) सिंचाई : राज्य में बोये गये शुद्ध क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत भाग को सिंचाई सुविधायें प्रदान की जा सकती है। परन्तु अभी तक केवल 20 प्रतिशत भाग को ही यह सुविधा प्राप्त है। कुल्लें सिंचाई का प्रमुख साधन है। इसके बारे में विस्तार से सिंचाई वाले अध्ययन में आप पढ़ चुके हैं।

संस्थागत उपाय

(i) भूमि सुधार : राज्य के चंकवदी के अलावा लगान का परिसीमन जोत की अधिकतम सीमा तथा अतिरिक्त भूमिका भूमिहीन व पात्र व्यक्तियों में बांटने के कार्य को पूरा किया गया है। विस्तारपूर्वक इनका अध्ययन हिमाचल में भूमि सुधार नामक अध्ययन में करेंगे।

(ii) वित्त का प्रबन्ध : कृषि उत्पादन के कार्य के प्रारम्भ व समाप्त होने के बीच 4-5 मास का समय लगता है। किसान गरीब है। कृषि के लिए उपकरण खरीदने जैसे कामों के लिए उसे साख की जरूरत होती है। उसे साख व्यापारिक व सहकारी बैंकों के अलावा, साहूकार व व्यापारी से उपलब्ध होती है। सविस्तार वर्णन बैंक व वित्तीय संस्थायें नामक अध्ययन में किया जा चुका है।

(iii) वित्तीय सहायता : कृषि सम्बन्धी विविध कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार लोगों की सहायता करती है। सीमान्त किसान को 66.6 प्रतिशत ऋण व 33.3 प्रतिशत अनुदान लघु किसान को 75 प्रतिशत ऋण व 25 प्रतिशत अनुदान, अनुसूचित जाति व जन-जाति को 50 प्रतिशत ऋण व 50 प्रतिशत

अनुदान प्रदान करती है। किसानों को केवल ऋण ही वापस करना होता है। अनुदान मुफ्त प्रदान किया जाता है।

(ब) बागवानी

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसने पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता एवं लोगों के रहन-सहन में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में बागवानी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश के धरातल पर नजर डालने से ज्ञात होता है कि राज्य का लगभग 40 प्रतिशत भाग ऐसा है जो कृषि के अनुकूल नहीं। पहले इन क्षेत्रों में सिर्फ पशु चराये जाते थे। साथ ही राज्य का लगभग आधा भाग ठण्डा है। यहां जलवायु सम्बन्धी दशाओं के कारण फसलें पैदा नहीं की जा सकती। परन्तु इन दोनों तरह के क्षेत्रों के एक बड़े भाग पर शीतोष्ण फलों को पैदा किया जा सकता है।

बागवानी का महत्व

हिमाचल प्रदेश में कृषि की तुलना में बागवानी का अधिक महत्व है। यह बात निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है।

(i) प्रति इकाई क्षेत्र से आय : जलवायु व भूसंरचना के कारण हिमाचल प्रदेश में भूमि के एक टुकड़े पर अनाज की पैदावार की तुलना में सब्जियों व फलों की पैदावार से अधिक आय प्राप्त होती है। यह बात उन भागों में भी लागू होती है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हैं। पहले यह तथ्य सेब उत्पादक क्षेत्रों तक ही सीमित माना जाता था परन्तु बाद में पाया गया कि गर्म भागों में किन्नु, लीची, अंगूर या नींबू प्रजातियों सम्बन्धी फलों के उत्पादन से कृषि की तुलना में अधिक आय प्राप्त होती है। सोलन व कुल्लू के किसानों ने गैर-मौसमी सब्जियां उगाकर यह प्रमाणित कर दिया है कि इनसे आय गेहूं व अन्य फसलों से प्राप्त आय से कई गुणा अधिक होती है।

(ii) कृषि अयोग्य भूमि का उपयोग : राज्य में लगभग 40 प्रतिशत भूमि ऐसी है कि इस पर कृषि नहीं की जा सकती। ये क्षेत्र या तो घासनियां हैं या इतने अधिक ढलवां हैं कि खेती नहीं की जा सकती। परन्तु इसके 60 प्रतिशत भाग में, फलों के पौधे लगाकर हम उस बेकार पड़ी भूमि का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कृषि के अन्तर्गत भूमि (10 प्रतिशत) की तुलना में बागवानी के अन्तर्गत (24 प्रतिशत) अधिक भूमि का प्रयोग किया जा सकता है। इससे गांव के लोगों की आर्थिक दशा में क्रान्तिकारी परिवर्तन आये हैं।

(iii) भूमि कटाव से रक्षा : हिमाचल में भूमि ढलावां होने से पानी के बहाव की गति तेज होती है। ऐसी भूमि में कृषि करने से मिट्टी का कटाव बहुत अधिक होता है। फलों के बगीचे में मिट्टी घास के नीचे दबी रहती है इस कारण मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। पहाड़ी भागों में जहां मिट्टी की गहराई बहुत कम है, उसका अत्याधिक महत्व है।

(iv) प्राकृतिक देन का उपयोग : हमारे जंगलों में कई किस्म के जंगली फलों के वृक्ष उगे होते हैं जैसे कैंथ, किन्नु, जंगली बेर, जंगली अंजीर इत्यादि। इन जंगली फलों का कोई भी व्यापारिक महत्व नहीं। परन्तु इन वृक्षों पर कलमबन्दी कर इन्हें व्यावसायिक फलों के वृक्षों में बदला जा सकता है। इनकी पैदावार से कृषक की आय बढ़ सकती है।

(v) राष्ट्रीय परियोजनाओं की सुरक्षा : देश की कई बड़ी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा बांध, पोंग बांध के जलाशय हिमाचल में स्थित हैं। यदि इनके जलाशयों के पानी का बहाव क्षेत्र (Catchment Area)

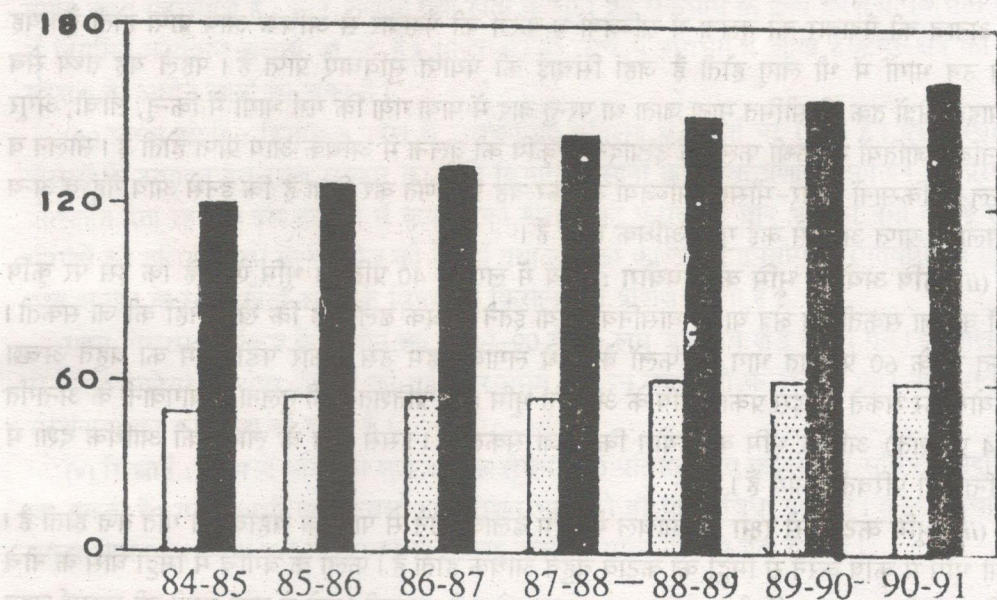
वृक्षहीन होगा तो ये जलाशय शीघ्र ही मिट्टी से भर जायेंगे। तब इनकी बिजली व सिंचाई क्षमता बहुत घट जायेगी। अतः इस भाग में फलों के बगीचे लगाकर एक तरफ तो कृषक की आय बढ़ा सकते हैं और दूसरी तरफ इन जलाशयों के जीवन को लम्बा कर सकते हैं।

(vi) **परोक्ष लाभ :** (अ) फलों के पैकिंग के लिए लकड़ी या गते की पेटियां जरूरी होती हैं, राज्य में सैकड़ों मशीनें पेटियां तैयार करने में लगी हैं।

(ब) फलों का विधायन : बागवानी की उपज पर आश्रित कई फल विधायन इकाइयां राज्य में काम कर रही हैं। परवाणु में एक बड़ी इकाई काम कर रही है। इस तरह बागवानी राज्य में उद्योगों को भी विकसित करने में सहायक हो रही है। अब निजी क्षेत्र की फल विधायन इकाई में भी उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

फल उत्पादन

क्षेत्रफल
'000 हेक्टेयर



स्रोत : हिमाचल प्रदेश आर्थिक समीक्षा, 1992

(स) शीत भण्डार घर : फलों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीत भण्डार गृहों का निर्माण किया जाता है।

(द) यातायात व संचार : बागवानी की उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़कों व राज् मार्गों (Rope-ways) का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह बागवानी राज्य के भीतरी भागों में सड़क परिवहन का विस्तार करने में भी सहायक हुई है। गांवों में टैलीफोन भी लगाये गये हैं।

(य) रोजगार : बागवानी के काम में बहुत से ग्रामीण भूमिहीनों को उपयोगी रोजगार मिलता है। बागवानी में बौलियां बनाने, कटाई-छटाई करने, दवा छिड़कने, फलों को तोड़ने, ग्रेडिंग करने, पेटियों में

इस समय बागवानी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 75 प्रतिशत भाग ऊँच व मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में है जिसमें सबसे अधिक पैदा किये जाने वाला फल सेब है। 25 प्रतिशत क्षेत्र निचले भागों में है जहाँ किन्नु, संतरा, आम व लीची के बगीचे हैं।

वर्ष 1950-51 में राज्य में सिर्फ 792 हैक्टेयर भूमि में ही बगीचे थे। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में फलों के अन्तर्गत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई। 1965-66 में फलों के अन्तर्गत लगभग 22 हजार हैक्टेयर क्षेत्र था। यह 1990 के अन्त तक बढ़कर 160 हजार हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार गत 40 वर्षों में फलोद्यान के क्षेत्र में लगभग 200 गुणा वृद्धि हुई जो अभूतपूर्व है।

विभिन्न फलों के अधीन क्षेत्र निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

क्र०सं० फलों का नाम	फलों के अधीन क्षेत्र (हैक्टेयर में)	
	1989-90	1991-92 के लक्ष्य
1. सेब	60,000	
2. अन्य शीतोष्ण फल (पलम, आड़ू आदि)	35,000	
3. सूखे फल व मेवे (बादाम, अखरोट आदि)	13,000	
4. नींबू प्रजाति (किन्नु, संतरा आदि)	35,000	
5. अन्य उपोष्ण फल (आम, लीची आदि)	13,000	
6. कुल	1,60,000	1,67,000

स्रोत - अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

फलोत्पादन में वृद्धि

1950-51 में राज्य में फलों का कुल उत्पादन 1200 टन था। वह 1990 तक बढ़कर 4.6 लाख टन हो गया। यह अब तक के उत्पादन का कीर्तिमान था। वर्ष 1989 में राज्य में सेब का उत्पादन 12 हजार टन था।

वर्ष 1989-90 में विभिन्न किस्म के फलों का उत्पादन निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

क्र० सं० नाम	फल उत्पादन (हजार टनों में)	
	1989-90	1991-92
1. सेब	395.00	
2. अन्य शीतोष्ण फल	30.00	
3. मेवे व सूखे फल	3.00	
4. नींबू प्रजाति के फल	12.00	
5. अन्य उपोष्ण फल	20.00	
कुल फलों का उत्पादन	460.00	337.00

स्रोत - अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

इस समय बागवानी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 75 प्रतिशत भाग ऊंचे व मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में है जिसमें सबसे अधिक पैदा किये जाने वाला फल सेब है। 25 प्रतिशत क्षेत्र निचले भागों में है जहां किन्नु, संतरा, आम व लीची के बगीचे हैं।

वर्ष 1950-51 में राज्य में सिर्फ 792 हैक्टेयर भूमि में ही बगीचे थे। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में फलों के अन्तर्गत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई। 1965-66 में फलों के अन्तर्गत लगभग 22 हजार हैक्टेयर क्षेत्र था। यह 1990 के अन्त तक बढ़कर 160 हजार हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार गत 40 वर्षों में फलोद्यान के क्षेत्र में लगभग 200 गुणा वृद्धि हुई जो अभूतपूर्व है।

विभिन्न फलों के अधीन क्षेत्र निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

क्र०सं० फलों का नाम	फलों के अधीन क्षेत्र (हैक्टेयर में)	
	1989-90	1991-92 के लक्ष्य
1. सेब	60,000	
2. अन्य शीतोष्ण फल (पलम, आड़ू आदि)	35,000	
3. सूखे फल व मेवे (बादाम, अखरोट आदि)	13,000	
4. नींबू प्रजाति (किन्नु, संतरा आदि)	35,000	
5. अन्य उपोष्ण फल (आम, लीची आदि)	13,000	
5. कुल	1,60,000	1,67,000

स्रोत - अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

फलोत्पादन में वृद्धि

1950-51 में राज्य में फलों का कुल उत्पादन 1200 टन था। वह 1990 तक बढ़कर 4.6 लाख टन हो गया। यह अब तक के उत्पादन का कीर्तिमान था। वर्ष 1989 में राज्य में सेब का उत्पादन 12 हजार टन था।

वर्ष 1989-90 में विभिन्न किस्म के फलों का उत्पादन निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

क्र० सं० नाम	फल उत्पादन (हजार टनों में)	
	1989-90	1991-92
1. सेब	395.00	
2. अन्य शीतोष्ण फल	30.00	
3. मेवे व सूखे फल	3.00	
4. नींबू प्रजाति के फल	12.00	
5. अन्य उपोष्ण फल	20.00	
कुल फलों का उत्पादन	460.00	337.00

स्रोत - अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

भारत में सबसे अधिक सेब हिमाचल प्रदेश में पैदा किया जाता है। इसी कारण इसे भारत का सेब राज्य पुकारा जाता है। पहले जम्मू-कश्मीर राज्य में सेब सबसे अधिक पैदा किया जाता था। यह राज्य का व्यावसायिक स्तर पर पैदा किया जाने वाला सबसे पहला व प्रमुख फल है। राज्य की मध्यवर्तीय ऊंचाई वाले भागों के लोगों के जीवन का आधार ही बन गया है।



सेब ग्रेडिंग

सेब का पौधा सबसे पहले अलक्जेंडर कुट्स में शिमला पहाड़ियों में लगाया था। व्यावसायिक स्तर पर सेब के बगीचे लगाने का श्रेय एस०एन० स्टोक्स को है। इन्होंने शिमला जिले के कोटगढ़ में सेब का बगीचा लगाया। अब तो यह बहुत लोकप्रिय हो गया है। शिमला जिले के कोटखाई, जुबल व चौपाल तहसीलों में तो

प्रायः सभी जमींदार सेब पैदा करते हैं। शिमला के अलावा कुल्लू, चम्बा, व मण्डी की मध्यवर्तीय ऊंचाई वाले भागों में सेब के बगीचे हैं। किन्नौर में भी सेब के बगीचों का प्रचलन बढ़ रहा है। यहां का सेब सबसे बाद में मण्डी में आता है। सिरमौर व कांगड़ा के कुछ भागों में भी सेब पैदा किया जाता है।

सेब के अन्तर्गत क्षेत्रफल में तो लगातार वृद्धि हो रही है। परन्तु सेब के उत्पादन में काफी उतार-चढ़ाव आता रहता है। जिस वर्ष बर्फ अच्छी पड़ती है सेब का उत्पादन अधिक होता है। 1980 के दशक में स्कैव (सेब का कैंसर जैसा रोग) की बीमारी ने इसे बहुत हानि पहुंचाई।

सेब प्रायः राज्य से बाहर भेजा जाता है। अतः पैकिंग की पेटियों की समस्या प्रायः रहती है। पेटियों के लिए लकड़ी काटनी पड़ती थी। इनका वनों के क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अब लकड़ी की पेटी की जगह पत्ते के डिब्बों का प्रचलन बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए कोटखाई तहसील में गुम्मा के समीप एक आधुनिक कारखाना स्थापित किया गया है। इसके साथ ही छोटे उत्पादकों को परिवहन की समस्या रहती है। उन्हें ट्रक आसानी से नहीं मिल पाता। सारा सेब बाहर नहीं भेजा जा सकता। ऐसे सेब को राज्य का विधायन विभाग खरीद लेता है। परन्तु कुछ समय से इसके क्रय का मूल्य (समर्थन मूल्य) एक समस्या बन गई है। सरकार व उत्पादकों में संघर्ष छिड़ गया है। राज्य सरकार सेब के विधायन का एक अति आधुनिक संयंत्र लगाना चाहती है। इसके लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से इंडो-फ्रेंच सेब विकास परियोजना बनाई गई है। इसके अन्तर्गत सेब पर आधारित सिडार व शराब उद्योग स्थापित करना भी शामिल है।

उद्यान उद्योग में विविधता

उद्यान उद्योग विविधता लाने के लिए राज्य में अन्य फलों जैसे जैतून, अंजीर, होप्स, खुम्ब, पिस्तार इत्यादि की खेती को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्यान सम्बन्धित सहायक उद्योग जैसे मधु-मक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

1. **जैतून :-** जैतून के विकास के लिए इटली देश की सरकार के सहयोग से एक परियोजना कुल्लू जिले में बजौरा में कार्यान्वित की जा रही है। दूसरे चरण में चम्बा जिले में सरोल नामक स्थान पर कार्य किया जायेगा। इटली में बड़ी संख्या में जैतून की सुधरी हुई किस्में आयात की गई हैं। इससे राज्य में जैतून के तेल के उद्योग को स्थापित किया जा सकेगा।

2. **होप्स :-** अभी तक होप्स की खेती लाहौर-स्पति घाटी में ही होती है। अब किन्नौर व पांगी क्षेत्र में भी होप्स की खेती का विस्तार किया जा रहा है। होप्स का प्रयोग बीयर बनाने के लिए होता है। पहले हम इसे आयात करते थे। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। 1991 में 48 टन हरा होप्स (12.00 टन सूखा होप्स) का उत्पादन हुआ।

3. **खुम्ब :-** खुम्ब विकास के लिए हालैंड की सरकार के सहयोग से पालमपुर में एक परियोजना चालू की गई है। 1991-92 में 400 टन खुम्ब पैदा हुआ। इससे पालमपुर तहसील में खुम्ब उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. **मधु मक्खी पालन :-** फलों के बगीचों में मधु-मक्खी के बक्से रखे जा रहे हैं। मधु मक्खियां फलोत्पादन में सहायक होती हैं। 1990-91 में उत्पादन 18 टन हुआ।

पुष्प विकास :- सरकार ने फलों के उत्पादन को बढ़ाने के विकास के लिए पुष्प विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इसके अन्तर्गत 100 हैक्टेयर क्षेत्र में (5 वर्षों में) पुष्प लगाये जायेंगे। साथ ही ग्रीन हाउस खेती के अन्तर्गत कीमती फूलों के बीज, सैफरोन, स्ट्राबेरी आदि की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।



बागवानी लाहौल में होप्स उत्पादन

फलों का विपणन व विधायन :- फलों को पेड़ों से तोड़ने के बाद से उपभोक्ता के हाथ तक पहुंचाने की सारी प्रक्रिया विपणन (Marketing) में आती है। राज्य सरकार विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार व विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर आधुनिक विपणन व्यवस्था के सभी कार्य यथा मार्ग निर्माण, पैकिंग, ग्रेडिंग, शीत भण्डार आदि की समुचित व्यवस्था कर रही है। इसके लिए राज्य में बहुत पैकिंग, ग्रेडिंग व शीत भण्डार खोले गये हैं। राज्य की सीमा पर पारगमन के मध्य की सुविधा प्रदान करने के लिए गोदाम बनाये गये हैं। दिल्ली, कलकत्ता आदि के थोक भावों की सूचना बागवानों तक प्रसारित की जाती है। बड़ी मण्डियों में थोक विक्रय के केन्द्र व शीत भण्डार गृह बनाये गये हैं। विदेशों में भेजने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वर्ष 1991-92 में लगभग 2.9 लाख टन फलों की पेटियां राज्य से बाहर भेजी गई। सरकार फल उत्पादकों को फलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करती है व उस कीमत पर स्वयं क्रय भी करती है। ऐसा सेब व नींबू प्रजाति के फलों के लिए

किया जाता है। एच.पी.एम.सी. लकड़ी की जगह गते की पेटियां उपलब्ध करा रही है। 1991-92 में 19 लाख डिब्बों का उत्पादन हुआ।

फलों के विधायन के लिए राज्य में उद्यान विभाग की 9 फल-विधायन इकाइयां काम कर रही हैं। विधायन की एक आधुनिक इकाई परवाणु में कार्यरत है, जहां सेब का रस तैयार किया जाता है। यह एशिया की आधुनिकतम इकाई है। विधायन का कार्य नौबहार (शिमला), कालपा (किन्नौर), धौलाकुआं, बागयान, राजगढ़, (सिरमौर), राजपुरा (चम्बा), जाबली (सोलन) व नगरोटा बगवां (कांगड़ा) में किया जा रहा है। सेब के रस को एक रेट के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए सारे देश में स्टाल खोले गए हैं। जहां नियत कीमत पर सेब का रस उपलब्ध किया जाता है।

अभ्यास-प्रश्न

निबन्धात्मक प्रश्न

- हिमाचल प्रदेश के कृषि उत्पादन का वर्णन करो।
- कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालो।
- हिमाचल प्रदेश में बागवानी के महत्त्व पर एक निबन्ध लिखो।
- बागवानी के विकास का वर्णन करो।
- बागवानी में विविधता लाने, विपणन व विधायन की दिशा में सरकार क्या कर रही है ? स्पष्ट करो।

लघु-उत्तर प्रश्न

- हिमाचल में जोतों के आकार व शुद्ध बोये गये क्षेत्र का वर्णन करो।
- शुष्क खेती से आप क्या समझते हैं ? हिमाचल में शुष्क खेती का वर्णन करो।
- सेब कहाँ-कहाँ व कितने क्षेत्र में पैदा होता है ? सेब उत्पादन पर भी प्रकाश डालिए।
- उद्यान क्षेत्र में क्या विविधतायें लाई जा रही हैं ? स्पष्ट वर्णन करो।
- फलों के विधायन के बारे में क्या जानते हो ? लिखो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

रिक्त स्थान भरो

- हिमाचल में जोत का औसत आकार हैक्टेयर है।
- चाय का उत्पादन टन है।
- सर्वाधिक सेब जिले में पैदा होता है।
- होप्स की खेती में होती है।
- फल-विधायन की एशिया में सबसे बड़ी इकाई में स्थापित की गई है।

सही (✓) व गलत (×) के चिन्ह लगाओ।

- सबसे अधिक अदरक सोलन में पैदा होता है।
- हिमाचल में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत कम है।
- चावल की सबसे अधिक पैदावार कांगड़ा जिले में होती है।
- जैतून के पौधे कुल्लू में लगाये जा रहे हैं।
- राज्य की जलवायु सब्जियां पैदा करने के लिए अच्छी नहीं है।